UPGK120000191997 UPGK120001141998

न्यायालय सिविल जज, जूनियर डिविजन, बांसगाँव, गोरखपुर।

उपस्थितः– आशीष कुमार सिंह (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

JO Code– UP2438

मूलवाद संख्या –201/1997 (अग्रणी पत्रावली)

मूलवाद संख्या –102/1998 (समेकित पत्रावली)

1– जीतन सिंह उम्र लगभग 20 वर्ष पुत्र किशोर

2– अजीत सिंह उम्र लगभग 15 वर्ष (अब वालिग) पुत्र किशोर बजरिये वादमित्र व भाई हकीकी जीतन सिंह

निवासीगण मौजा मझौवा तप्पा पचौरी परगना हसनपुर मगहर तहसील खजनी जिला गोरखपुर।

–वादीगण

बनाम

1– काशी (मृतक)

1/1– श्रृंगारपति वालिग पत्नी स्व० काशी

2– राजेश्वर सिंह (मृतक)

2/1– श्रीमती राजमति देवी (मृतका)

2/1/1– लालबहादुर पुत्र किशोर

2/1/2– किशोर पुत्र हंसू

3– राजेन्द्र सिंह वालिग पुत्र काशी सिंह

4– अरविन्द सिंह उम्र लगभग 8 साल (अब वालिग) बबलायत श्री काशी सिंह पिता हकीकी

निवासीगण मौजा मझौवा तप्पा पचौरी परगना हसनपुर मगहर तहसील खजनी जिला गोरखपुर।

– प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष

5– किशोर सिंह वालिग पुत्र स्व० हंसू सिंह निवासी मौजा मझौवा तप्पा पचौरी परगना हसनपुर मगहर तहसील खजनी जिला गोरखपुर।

– प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष

(अग्रणी पत्रावली)

1– जीतन सिंह उम्र लगभग 21 वर्ष पुत्र श्री किशोर सिंह

2– अजीत सिंह उम्र लगभग 16 वर्ष (अब वालिग) पुत्र किशोर बजरिये वादमित्र व भाई हकीकी जीतन सिंह

निवासीगण मौजा मझौवा तप्पा पचौरी परगना हसनपुर मगहर तहसील खजनी जिला गोरखपुर।

–वादीगण

बनाम

1– राजेन्द्र सिंह वालिग पुत्र काशी सिंह

2– काशी सिंह (मृतक)

2/1– अरविन्द नाबालिग उम्र 14 वर्ष पुत्र स्व० काशी सिंह बजरिये संरक्षिका श्रीमती श्रृंगार पति माता हकीकी

3– श्रृंगारपति वालिग पत्नी स्व० काशी सिंह
निवासीगण मौजा मझौवा तप्पा पचौरी परगना हसनपुर मगहर तहसील खजनी जिला गोरखपुर।

– प्रतिवादीगण
(समेकित पत्रावली)

एकपक्षीय निर्णय

अग्रणी पत्रावली मूलवाद सं० 201/1997 जीतन सिंह आदि बनाम काशी आदि वादीगण द्वारा न्यायालय से वादपत्र के अन्त में दर्शित विवादित सम्पत्ति के बावत इम्तनाई का अनुतोष प्राप्त किये जाने के आशय से लाया गया है। निम्नलिखित वंशावली के सहारे वाद को समझने मे आसानी होगीः–

```
                    कन्हई सिंह
                         ।
   ।––––––––––––––––––––।––––––––––––––––––––––––––––।
बंसू(लावल्द फौत)          हंसू                        सूर्यवंश
                          |                              ।
                          |                        बच्ची(विधवा पत्नी)
                          |
   ।––––––––––––––––––––।––––––––––––––––––––––––––––।
 किशोर सिंह              काशी सिंह (D1)                राजेश्वर सिंह(D2)
     |                      |
     |                ।–––––––––––––––––––––––––––––।
     |           राजेन्द्र सिंह (D3)            अरविन्द सिंह (D4)
।–––––––––––––––।–––––––––––––––––।
लालबहादुर सिंह     जीतन सिंह (P1)     अजीत सिंह (P2)
```

अग्रणी पत्रावली के माध्यम से मुख्य रुप से वादीगण का यह कहना है कि वादपत्र के अन्त मे सूची अ,ब और स मे दर्ज आराजियात पैतृक आराजियात है जो उपरोक्त सेजरा मे दर्ज कन्हई सिंह के जमाने की है। कन्हई सिंह के स्वर्गवास के बाद इन आराजियात के मालिक व काबिज उपरोक्त सेजरा मे दर्ज वंशू, हंसू व सूर्यवंश रहे। इन तीनो भाइयों मे सबसे पहले वंशू की मृत्यु हुई वे लावल्द थे उनका हिस्सा हंसू व सूर्यवंश को मिला। फलस्वरुप वर्णित सूची अ,ब, और स मे दर्ज आराजियात मे हंसू का हक व हिस्सा बकदर 1/2 व सूर्यवंश का हक व हिस्सा बकदर 1/2 रहा और तदनुसार ये लोग इन आराजियात पर काबिज दखिल रहे। कालान्त मे उपरोक्त सेजरा मे दर्ज सूर्यवंश भी फौत कर गये फलस्वरुप सूची अ,ब और स मे दर्ज आराजियात मे जो उनका हक व हिस्सा बकदर 1/2 रहा उसकी भूमिधर व काबिज दखिल उनकी पत्नी श्रीमती बच्ची देवी हुई। निम्नलिखित सूची द,य,र मे दर्ज मकान बंगला व घारी भी उपरोक्त सेजरा मे दर्ज कन्हई सिंह के जमाने की सम्पत्ति है। जिसमे बंशू, हंसू व सूर्यवंश का हक व हिस्सा बराबर बराबर रहा और तद्नुसार उस पर वे काबिज दखिल रहे और बंशू लावल्द फौत कर गये उनके वारिस उनके शेष दो भाई हंसू व सूर्यवंश मजकूर हुए। कालान्तर मे सूर्यवंश भी फौत कर गये इसलिए वर्णित सूची द,य,र मे दर्ज मकान बंगला घारी मे जो उनका हक व हिस्सा बकदर 1/2 था उनकी मालिक व काबिज उनकी पत्नी श्रीमती बच्ची देवी हुई। कालान्तर मे हंसू भी फौत कर गये। हंसू की मृत्यु के बाद उनके 1/2 हिस्से के मालिक काबिज उनके तीनो लड़के किशोर सिंह, काशी सिंह व राजेश्वर सिंह हुए जो कि इस वाद मे प्रतिवादी सं० 1,2 व 5 है। कई साल पूर्व से प्रतिवादी सं० 5 अपने शेष दो भाईयों से अलग रहता है उपरोक्त सेजरा मे दर्ज श्रीमती बच्ची देवी प्रतिवादी सं० 5 के साथ रहती थी। प्रतिवादी सं० 5 के परिवार के लोग उपरोक्त बच्ची देवी को रोटी बना कर खिलाते पिलाते थे तथा प्रतिवादी सं० 5 व उनके परिवार के लोग उपरोक्त बच्ची देवी के जोत व जायदाद की देखभाल व रक्षा करते थे। प्रतिवादी सं० 5 ने उपरोक्त बच्ची देवी को चारो धाम कराया और चार बार बच्ची देवी से हवन और यज्ञ कराया इन सब कार्यो मे जो खर्च आया उसे प्रतिवादी सं० 5 ने स्वयं वहन किया। वादीगण प्रतिवादी सं० 5 के लड़के है उपरोक्त श्रीमती बच्ची देवी वादीगण से

अत्यधिक लगाव व प्रेम रखती थी। वे इन सबको बहुत मानती व जानती थी। वादीगण भी उनकी बहुत देखभाल व सेवा सुश्रुषा करते थे। फलस्वरुप वे वादीगण से अत्यधिक प्रसन्न रहती थी उपरोक्त बच्ची देवी को अपनी सन्तान पुत्र या पुत्री नही थी। इसलिए वे वादीगण से जुड़ी रही। श्रीमती बच्ची देवी ने दिनांक 01–03–93 को एक वसीयत इस आशय का लिखा व निष्पादित किया कि जब तक वे जीवित रहेगी तब तक वे अपने सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति की स्वामिनी व काबिज दखिल रहेगी। किन्तु उनके स्वर्गवास के बाद उनकी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति के मालिक व काबिज वादीगण होगें। श्रीमती बच्ची देवी दिनांक 11–03–93 को फौत कर गयीं। फलस्वरुप उक्त वसीयत के आधार पर वादीगण सूची अ,ब और स मे दर्ज आराजियात के 1/2 भाग के भूमिधर काबिज दखिल रहे। उपरोक्त वसीयत के आधार पर श्रीमती बच्ची देवी का नाम सरकारी कागजात से कलमजद होकर वादीगण का नाम दर्ज हो गया है। वादीगण इन आराजियात पर जरिये जोत जरायत काबिज दखिल है। इसीप्रकार निम्नलिखित सूची द,य और र मे दर्ज मकान, बंगला और घारी मे भी वादीगण का हक व हिस्सा बकदर 1/2 है और तद्नुसार उस पर काबिज दखिल रहे। प्रतिवादीगण 1 ता 4 को उपरोक्त वसीयत की शुरु से जानकारी रही। नामान्तरण के प्रक्रिया की पूरी जानकारी रही और निम्नलिखित सम्पत्ति पर भी वादीगण के कब्जा की शुरु से जानकारी है और वे लोग बराबर निम्नलिखित सम्पत्ति मे वादीगण के हक व हिस्से को मान्यता भी देते रहे। लगभग 4 साल बाद प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने माह अप्रैल सन् 1997 के प्रथम सप्ताह मे धमकी दिये कि वादीगण निम्न लिखित सम्पत्ति मे से उपरोक्त श्रीमती बच्ची देवी के जायदाद पर से अपना कब्जा दखल उठा लेवे। वादीगण द्वारा विरोध करने पर वे लोग आमादा फौजदारी हो गये और धमकी दिया कि वे इन सम्पत्तियों पर से वादीगण को वगैर बेदखल किये नही छोड़ेगे। वादीगण सूची अ,ब,स,द,य,र मे दर्ज सम्पत्ति के 1/2 भाग के मालिक व काबिज है। यदि प्रतिवादीगण 1 ता 4 निम्नलिखित सूची अ,ब,स,द,य,र मे दर्ज सम्पत्ति पर से वादीगण को बेदखल कर देवेगे तो वादीगण की अपूर्णनीय क्षति हो जावेगी।

वाद का कारण माह अप्रैल सन् 1997 के प्रथम सप्ताह मे जब प्रतिवादीगण गोलबन्द होकर असामाजिक तत्वों के साथ वादीगण के पास आये और धमकी देने लगे कि वे वादीगण को निम्नवत सम्पत्ति पर से बेदखल कर देवेगे तब बमुकाम मौजा मझौवा तप्पा पचौरी परगना हसनपुर मगहर तहसील खजनी जिला गोरखपुर अन्दर हदूद अख्तियार समायत अदालत हाजा के पैदा हुई।

अग्रणी पत्रावली मे प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा कागज सं० 49क दाखिल किया गया। जवाबदावा के माध्यम से मुख्य रुप से प्रतिवादीगण का कहना है कि वादीगण विवादित जायदाद के मालिक व काबिज नही है। वादीगण का यह कहना है कि प्रतिवादी सं० 5 अपने शेष दो भाईयों से अलग रहता है तथा श्रीमती बच्ची देवी प्रतिवादी सं० 5 के साथ रहती थी तथा प्रतिवादी सं० 5 के परिवार के लोग बच्ची देवी को रोटी बनाकर खिलाते पिलाते थे तथा प्रतिवादी सं० 5 व उनके परिवार के लोग बच्ची देवी के जोत व जायदाद की देखभाल व रक्षा करते थे बिल्कुल गलत व झूठ है। कथन वादीगण कि बच्ची देवी वादीगण से अत्यधिक लगाव व प्रेम रखती थी तथा इनको बहुत मानती थी तथा वादीगण उनकी बहुत देखभाल व सेवा सुश्रुषा करते थे तथा वे वादीगण से अत्यधिक प्रसन्न रहती थी, तथा वे वादीगण से जुड़ी रही, बिल्कुल गलत है। कथन वादीगण कि बच्ची देवी ने दिनांक 01–03–93 को वादीगण के हक मे वसीयत लिख दिया और उन्होने यह कहा कि जब तक वे जीवित रहेगी तब तक वे अपने सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति की स्वामिनी व काबिज दखिल रहेगी और उनके स्वर्गवास के बाद उनकी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति के मालिक व काबिज वादीगण होगे बिल्कुल गलत झूठ है। कथन वादीगण कि विवादित जायदाद मद अ,ब,स,द,य,र के वे 1/2 हिस्से के मालिक है और उनका नाम कागजात सरकारी मे दर्ज है, बिल्कुल गलत व झूठ है। कथन वादीगण कि प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 को कथित फर्जी वसीयत की जानकारी थी और नामान्तरण प्रक्रिया की भी जानकारी थी बिल्कुल गलत व झूठ है। कथन वादीगण कि विवादित सम्पत्ति पर उनका कब्जा है और प्रतिवादीगण ने उनको बेदखल करने की धमकी दिया बिल्कुल गलत झूठ व वराह बंदिश मुकदमा के है, वादीगण का कोई कब्जा विवादित जायदाद पर कभी नही रहा है लेहाजा धमकी का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। बच्ची देवी ने कोई वसीयतनामा वादीगण के हक मे दिनांक 11–03–93 को या कभी भी तहरीर नही किया यदि वादीगण ऐसा कोई कागज जाहिर करते है तो वह बिल्कुल फर्जी व जाली है तथा उसपर बच्ची देवी के निशानी अंगूठा नही है।

बच्ची देवी को कोई सन्तान नही थी बिना संतान के हिन्दू शास्त्र के अनुसार उनका पिन्डदान नही हो सकता था, लेहाजा उन्होने प्रतिवादी सं० 3 को उनके माता पिता से गोद लेने के लिए कहा चूंकि बच्ची देवी प्रतिवादी सं० 1 ता 4 के साथ ही रहती थी और प्रतिवादी सं० 3 को शुरु से ही पुत्रवत स्नेह करती थी लेहाजा प्रतिवादी सं० 3 के माता पिता प्रतिवादी सं० 3 को बच्ची देवी को गोद मे देने को तैयार हो गये। दिनांक 14–01–85 को बच्ची देवी ने अहले बिरादरी के सामने हिन्दू शास्त्र के अनुसार पूजा पाठ व हवन आदि करके गोद ले लिया तबसे प्रतिवादी सं० 3 बच्ची देवी के वहैसियत पुत्र जायदाद निजाई के मालिक है। इसके सम्बन्ध मे रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 04–05–1988 को तहरीर हो गया है। बच्ची देवी के जीवनकाल मे प्रतिवादी सं० 3 बतौर पुत्र उनकी सेवा सुश्रुषा करता रहा और मरने के पश्चात उनकी हिन्दू धर्म के अनुसार दाह संस्कार भी किया। प्रतिवादी सं० 3 का बच्ची देवी का पुत्र होते हुए बच्ची देवी का वादीगण को वसीयत लिखने का कोई प्रश्न नही है। वादीगण अपने पिता प्रतिवादी सं० 5 की साजिश मे होकर फर्जी वसीयत जायदाद को हड़पने के लिए तैयार कराया है। वादीगण का नाम आराजियात नजाई पर दर्ज नही है। प्रतिवादी सं० 3 वसाजिश वादीगण उन्होने ही सारी फर्जी कार्यवाही किया है। वादीगण विवादित जायदाद के मालिक व काबिज नही है लेहाजा वह कोई ईम्तनाई पाने के अधिकारी नही है। इसप्रकार प्रतिवादीगण द्वारा दावा खारिज किये जाने की याचना की गयी।

अग्रणी पत्रावली मे वादीगण द्वारा जवाबुल जवाब कागज सं० 50क दाखिल। जवाबुल जवाब के माध्यम से वादीगण द्वारा मुख्य रुप से कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण 1 ता 4 द्वारा प्रतिवाद पत्र मे जो कथन किया गया है वह बिल्कुल झूठ व बेबुनियाद है। यह तथ्य बिल्कुल सही है कि बच्ची देवी प्रतिवादी सं० 5 के साथ रहती थी। प्रतिवादी सं० 5 के परिवार के लोग रोटी बनाकर उन्हे खिलाते थे। उनकी देखभाल करते थे उनकी दवा की व्यवस्था करते थे उनके हिस्से की खेती वारी को करते कराते थे। यह बिल्कुल सही है कि बच्ची देवी का विशेष तौर से वादीगण से लगाव रहा वे वादीगण को बहुत मानती जानती थी उन्हे बहुत प्यार करती थी। वादीगण उनकी खूब सेवा टहल करते थे। यह सही है कि बच्ची देवी ने वादीगण के हक मे दिनांक 01–03–93 को एक वसीयत इस आशय का लिखा था कि जब तक वे जीवित रहेगी तब तक वे अपने सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति की स्वामिनी बनी रहेगी और उनके स्वर्गवास के बाद उनके सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति के मालिक व काबिज वादीगण होगे। बच्ची देवी ने खूब सोच समझ कर बिना किसी जब्र व दबाव के वसीयतनामा लिखा व निष्पादित किया था और वसीयतनामा पर अपना निशान अंगूठा लगाया था। प्रतिवादीगण का कथन बिल्कुल गलत है कि बच्ची देवी उनके साथ रहती थी और वे प्रतिवादी सं० 3 से अत्यधिक लगाव व स्नेह रखती थी। इसलिए उन्होने प्रतिवादी सं० 3 को गोद ले लिया तथाकथित गोदनामा दिनांक 04–05–88 बिल्कुल जाली व फर्जी अवैध व शून्य है। इसपर बच्ची देवी का निशान अंगूठा व फोटो नही है। प्रतिवादी सं० 3 कत्तई बच्ची देवी का दत्तक पुत्र नही है। प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने बच्ची देवी के हिस्से की जायदाद को हड़पने के लिए फर्जी गोदनामा तैयार करवाया है। प्रतिवादीगण का कथन बिल्कुल गलत है बच्ची देवी द्वारा लिखा गया वसीयतनामा क्रियान्वित नही हुआ है और न विवादित आराजियात पर वादीगण का नाम चढ़ा है। जबकि वास्तविकता यह है कि वसीयतनामा का क्रियान्वनय हो चुका है। बच्ची देवी के स्थान पर खतौनी मे वादीगण का नाम चढ़ चुका है और वादीगण के हक मे सरकार द्वारा जोत बही निर्गत की जा चुकी है।

समेकित पत्रावली मूलवाद सं० 102/1998 जीतन सिंह बनाम राजेन्द्र सिंह मे वादीगण द्वारा वादपत्र के माध्यम से मुख्य रुप से यह कथन किया गया है कि वादपत्र के अन्त मे सूची अ,ब,स व द,य,र से दर्शित सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति रही है। जो वादपत्र मे वर्णित सेजरा खानदान के अनुसार कन्हई सिंह के जमाने की है। कन्हई सिंह के स्वर्गवास के बाद सेजरा खानदान मे अंकित वंशू, हंसु व सूर्यवंश मालिक काबिज हुए। इन तीनो भाईयों मे सबसे पहले वंशु की मृत्यु हुई। जो कि लावल्द फौत कर गये थे। उनके मरने के बाद उनके हिस्से के मालिक हंसु व सूर्यवंश हुए। सूची अ,ब व स से दर्ज आराजियात मे हंसू व सूर्यवंश का हक व हिस्सा आधा–आधा (1/2 व 1/2) रहा। कालान्तर मे सूर्यवंश भी फौत कर गये। उनके मरने के बाद उनके हक व हिस्से की उत्तराधिकारी उनकी पत्नी बच्ची देवी हुई। वादपत्र के अन्त मे सूची द,य,र से दर्ज मकान व बंगला का उत्तराधिकार भी इसी प्रकार

वारिसो के मध्य आगे बढ़ता रहा। सूची द,य,र से दर्ज मकान बंगला व घारी के 1/2 की मालिक बच्ची देवी पत्नी सूर्यवंश हुई।

हंसू की मृत्यु के बाद सूची अ,ब,स,द,य,र मे उनका 1/2 हक व हिस्सा विधिक वारिसों किशोर सिंह, काशी सिंह व राजेश्वर सिंह के मध्य उनके हिस्से के अनुसार उन्हे प्राप्त हुआ। वादीगण के पिता किशोर सिंह अपने शेष 2 भाईयों से अलग रहते थे। बेवा बच्ची देवी वादीगण के पिता के साथ रहती थी। वादीगण के माता पिता बच्ची देवी की खानपान व देखभाल किया करते थे। बच्ची देवी द्वारा दिनांक 01–03–93 को वसीयतनामा वादीगण के हक मे निष्पादित कर दिया गया था। बच्ची देवी दिनांक 11–03–93 को फौत कर गयी। वसीयतनामा दिनांक 01–03–93 के आधार पर वादपत्र के अन्त मे सूची अ,ब,स से दर्ज आराजियात के बावत वादीगण का नाम राजस्व अभिलेख मे से कटवा दिया गया है। वादीगण दिनांक 09–04–97 को तहसील आये तो उन्हे मालूम हुआ कि गोदनामा के आधार पर प्रतिवादी सं० 1 द्वारा सूची अ,ब,स से दर्ज आराजियात के बावत वादीगण का नाम कटवाकर अपना नाम दर्ज करवा दिया गया है। वादीगण द्वारा वसीयतनामा दिनांक 01–03–93 के आधार पर न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) गोरखपुर मे मूलवाद सं० 201/97 इम्तनाई के अनुतोष हेतु दाखिल किया गया है। दिनांक 09–04–97 को गोदनामा दिनांक 04–05–88 की जानकारी होने पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद गोदनामा मंसूखी हेतु लाया गया है। गोदनामा दिनांक 04–05–88 पर बच्ची देवी का फोटो या निशान अंगूठा नही है। उक्त दस्तावेज बच्ची देवी द्वारा निष्पादित नही है। गोदनामा के समय प्रतिवादी सं० 2 व 3 को केवल एक ही पुत्र प्रतिवादी सं० 1 था। इसलिए इकलौते पुत्र को गोद मे देकर पुत्रहीन होने का प्रश्न ही नही उठता। विवादित गोदनामा के दोनो गवाह फर्जी है। गोदनामा का क्रियान्वयन नही किया गया है। गोदनामा के फर्जी होने का सबसे बड़ा साक्ष्य यह है कि इसके तथाकथित निष्पादिन के बाद भी प्रतिवादी सं० 1 की वल्दियत स्कूल, वोट लिस्ट और परिवार रजिस्टर मे प्राकृतिक पिता काशी सिंह के नाम से दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि विवादित गोदनामा जाली व फर्जी था। जिसका निष्पादन भी नही किया गया था।

विवादित गोदनामा की जानकारी माह फरवरी 1998 के प्रथम सप्ताह मे होने के बाद मंसूखी वाद लाया गया है। इस प्रकार वादीगण द्वारा विवादित गोदनामा दिनांक 04–05–1988 द्वारा बच्ची देवी पत्नी सूर्यवंश बहक प्रतिवादी सं० 1 को मंसूख किये जाने की याचना की गयी है।

समेकित पत्रावली मे प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा कागज सं० 19क के माध्यम से वादपत्र के कथानक का खण्डन किया गया है। अतिरिक्त कथन के माध्यम से प्रतिवादीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि उन्वान दावा मे प्रतिवादी सं० 1 को काशी सिंह का गलत तौर पर पुत्र दिखाया गया है। प्रतिवादी सं० 1 सूर्यवंश सिंह का दत्तक पुत्र है। सूची द,य,र से वादीगण द्वारा मकान व सहन की चौहद्दी गलत दिया गया है। इसके अलावा वादीगण द्वारा सूर्यवंश सिंह के 1/2 हक व हिस्से मे मिले मकान का जिक्र नही किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 01–03–93 द्वारा बच्ची देवी वहक वादीगण बिल्कुल गलत व झूठ है। वादीगण का नाम सरकारी अभिलेखों मे अभी भी दर्ज नही है। वादीगण को शुरुआत से ही गोदनामा की जानकारी रही। उनके द्वारा यह कहा जाना कि दिनांक 09–04–93 के पूर्व उन्हे गोदनामा की जानकारी नही थी, पूर्णतया गलत है। गोदनामा दिनांक 04–05–88 वैध दस्तावेज है। जिसे बच्ची देवी द्वारा निष्पादित किया गया है। प्रतिवादी सं० 1 की वल्दियत स्कूल एवं अन्य स्थलों पर दत्तक पिता वल्दियत के रुप मे दर्ज है। इस आधार पर गोदनामा को गलत साबित नही किया जा सकता। दिनांक 14–01–85 को विरादरी के सामने जिसमे वादीगण व उसके पूर्वज के सभी लोग शामिल थे। हिन्दू शास्त्र के अनुसार पूजा पाठ एव हवन आदि करके बच्ची देवी ने प्रतिवादी सं० 1 को गोद लिया व प्रतिवादी सं० 2 व 3 ने गोद दिया। प्रतिवादी सं० 1 बहैसियत बच्ची देवी की जायदाद पर रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर काबिज दखिल हुए।

काउन्टर क्लेम के माध्यम से प्रतिवादीगण द्वारा विवादित वसीयतनामा दिनांक 01–03–93 को जाली व फर्जी होने का कथन करते हुए मंसूख किये जाने की याचना किया गया है।

समेकित पत्रावली मे जवाबुलजवाब 23क के माध्यम से वादीगण द्वारा जवाबदावा का खण्डन करते हुए मुख्य रुप से यह कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल काउन्टर क्लेम बिल्कुल गलत व बेबुनियाद है। प्रतिवादी सं० 1 बच्ची देवी का दत्तक पुत्र नही है ना ही वह बच्ची देवी के हक व हिस्से के किसी भी सम्पत्ति पर काबिज दखिल है। वादपत्र के अन्त मे सूची द,य,र मे वर्णित मकान व

सहन के अलावा कोई अन्य सम्पत्ति सूर्यवंश सिंह व बच्ची देवी की नही रही। बच्ची देवी द्वारा कभी भी प्रतिवादी सं० 1 को गोद नही लिया गया है। हिन्दू रिति–रिवाज के अनुसार दिनांक 14–02–85 को बच्ची देवी द्वारा प्रतिवादी सं० 1 को गोद लिया जाना मिथ्या कथन है। गोदनामा दिनांक 04–05–88 एक फर्जी दस्तावेज है। बच्ची देवी द्वारा वादीगण के हक मे वसीयतनामा दिनांक 01–03–93 लिखा गया है जो कि एक सही दस्तावेज है जिसके आधार पर वादीगण बच्ची देवी के हक व हिस्से पर मालिक काबिज है। प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 से बाधित है। इस प्रकार वादीगण द्वारा जवाबुल जवाब के माध्यम से दावा अज्ञप्त किये जाने की याचना की गयी है।

अग्रणी पत्रावली दिनांक 09–05–1997 को न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) गोरखपुर मे दाखिल हुआ। न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध सम्मन/नोटिस जारी की गयी। प्रतिवादीगण पत्रावली पर उपस्थित आये। उनके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी। न्यायालय द्वारा दिनांक 05–02–2001 को उभयपक्ष के अभिवचनो के आधार पर वादबिन्दु विरचित किये गये। दिनांक 26–03–2001 को वादबिन्दु सं0 3 व 4 जोकि मूल्यांकन व न्यायशुल्क से सम्बन्धित है न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष मे निर्णीत किया गया। दिनांक 15–05–2001 को न्यायालय द्वारा मूलवाद सं० 201/1997 व मूलवाद सं० 102/98 की पत्रावलियों को एकीकृत किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से न्यायालय द्वारा मूलवाद सं० 201/97 जीतन सिंह बनाम काशी सिंह की पत्रावली को अग्रणी वाद निर्धारित किया गया। दिनांक 23–11–2001 को न्यायालय द्वारा बच्ची देवी के निशानी अंगूठा के मिलान के लिए प्रतिवादीगण को माहिर रिपोर्ट मंगाये जाने हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आदेशित किया गया। वाद कार्यवाही के क्रम मे वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू० 1 चन्द्रभान की प्रतिपरीक्षा प्रतिवादीगण द्वारा की गयी है। दिनांक 04–09–18 को न्यायालय द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 1 के जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया एवं पत्रावली वास्ते साक्षी पी०डब्लू० 2 जिरह नियत की गयी। दिनांक 25–09–2018 को प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण साक्षी पी०डब्लू० 2 के जिरह का अवसर भी समाप्त कर दिया गया। वादीगण द्वारा आदेश पत्रक पर इस आशय का अंकन किया गया कि अब उन्हे कोई मौखिक साक्ष्य एकपक्षीय स्तर पर नही देना है। दिनांक 22–10–2019 को न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को अतिम अवसर दिया गया। दिनांक 15–02–2021 को न्यायालय द्वारा पुनः प्रतिवादीगण को अंतिम अवसर दिया गया। दिनांक 10–03–2021 को न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का अवसर समाप्त करते हुए पत्रावली एकपक्षीय अग्रसारित की गयी। वादीगण द्वारा लिखित बहस पत्रावली पर दाखिल की गयी है जो शामिल मिसल है।

समेकित पत्रावली मूल वाद सं० 102/98 दिनांक 13–02–98 को न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) गोरखपुर मे दाखिल की गयी। न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस/सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादीगण उपस्थित आये उनके द्वारा आपत्ति की गयी। उभयपक्षों के अभिवचनो के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 21–07–99 को वादबिन्दु विरचित किया गया। दिनांक 27–10–99 को वादबिन्दु 5 व 10 जो कि न्यायशुल्क व वाद मूल्यांकन से सम्बन्धित है, को न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष मे निर्णीत किया गया।

अग्रणी वाद सं० 201/1997 मे उभयपक्षों के अभिवचनो के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 05–02–2001 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किया गया हैः–

1– क्या वादीगण जरिये वसीयतनामा दिनांक 01–03–1993 विवादित जायदाद मे आधे के मालिक है व उसपर उनका कब्जा दखल है? यदि हाँ तो प्रभाव?

2– क्या वसीयतनामा दिनांक 01–03–1993 फर्जी एवं जाली दस्तावेज है जैसा कि प्रतिवाद पत्र मे कहा गया है?

3– क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

4– क्या वादी द्वारा दिया गया न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

5– क्या दावा वादी धारा 34 एवं 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?

6– क्या दावा वादी मे आवश्यक पक्ष को पक्षकार न बनाये जाने का दोष है?

7– क्या इस न्यायालय को प्रस्तुत वाद देखने का क्षेत्राधिकार नही है?

8– क्या दावा वादी अवधि बाधित है?

9– क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

समेकित वाद सं० 102/1998 मे उभयपक्षों के अभिवचनो के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 21–07–99 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किया गया हैः–

1– क्या गोदनामा दिनांक 04–09–1988 जिसे बच्ची देवी पत्नी सूर्यवंश सिंह द्वारा प्रतिवादी सं० 1 को गोद लिया जाना कहा जाता है बिल्कुल जाली, फर्जी अवैध व शून्य है तथा इसका कोई बन्धन वादीगण पर नही है?

2– क्या प्रतिवादी सं० 1 सूर्यवंश सिंह व बच्ची सिंह का दत्तक पुत्र है?

3– क्या वादीगण को हक दावा हासिल नही है?

4– क्या वाद मे धारा 34 एवं 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की बाधा है?

5– क्या वाद का मूल्यांकन कम है तथा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

6– क्या वाद मे अवधि की बाधा है?

7– क्या वाद अन्तर्गत दफा 10 जाप्ता दिवानी स्थगित होने योग्य है?

8– क्या वाद मे आदेश 2 नियम 2 जाप्ता दीवानी का दोष है?

9– क्या दिनांक 01–03–1993 को बच्ची देवी द्वारा वादीगण के पक्ष मे कोई वसीयतनामा जाली फर्जी व अवैध तथा शून्य दस्तावेज है?

10– क्या काउन्टर क्लेम का मूल्यांकन कम है तथा दिया गया न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

11– क्या काउन्टर क्लेम विशेष अनुतोष अधिनियम की धारा 34 से बाधित है?

12– क्या काउन्टर क्लेम काल बाधित है?

अग्रणी पत्रावली मे वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में फर्द सबूत 9ग के माध्यम से उद्धरण खतौनी कागज सं० 10ग, 11ग,12ग, जोत बही 13क,14क, नकल आदेश उपजिलाधिकारी खजनी दिनांक 11–04–1997 41ग, इन्तखाब खतौनी बावत मौजा पचौरी कागज सं० 47ग/1 ता 47ग/3, फोटो प्रति वसीयतनामा दिनांक 01–03–1993 कागज सं० 52ग, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रतिवादी कागज सं० 53ग, प्रमाण पत्र प्रधान दिनांक 20–09–1997 कागज सं० 54ग, नकल खेसरा मौजा मझौवा कागज सं० 57ग, नकल खेसरा मौजा जिगिना कागज सं० 58ग, खतौनी मौजा पचौरी कागज सं० 59ग, नकल परिवार रजिस्टर 1996 कागज सं० 64ग, 65ग, नकल मतदाता सूची वर्ष 1995 कागज सं० 66ग, फोटो प्रति रसीद लगान अदायगी बावत मौजा मझौवा दिनांक 01–12–1997 कागज सं० 67ग, फोटो रसीद लगान अदायगी द्वारा वादीगण बावत मौजा जिगिना दिनांक 01–12–1997 कागज सं० 68ग, फोटो प्रति रसीद लगान अदायगी बावत मौजा पचौरी दिनांक 01–12–1992 कागज सं० 69ग नकल आदेश SDO खजनी दिनांक 18–04–1998 कागज सं० 79ग, नकल खतौनी मौजा जिगिना फसली 1401 से 1406 कागज सं० 80ग, 81ग/1 ता 81ग/2, फोटो कापी सनद हाई स्कूल 82ग, नकल आदेश आयुक्त गोरखपुर मण्डल निकरानी 259/317/जी/98 86ग, नकल इन्तखाब खतौनी 87ग, 88ग, 89ग, T.C 90ग, चरित्र प्रमाण पत्र नकल 91ग, नकल खतौनी 96ग, 97ग, 98ग, नकल आदेश दिनांक 23–02–1999 तहसीलदार खजनी 99ग, नकल आदेश 25–06–98 द्वारा तहसीलदार खजनी 100ग/1 ता 100ग/3, फक्री नकल गोदनामा 126ग व असल दस्तावेज वसीयतनामा 127ग दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में दाखिल की गयी।

अग्रणी पत्रावली मे मौखिक साक्ष्य के रुप में वादीगण द्वारा चन्द्रभान पी०डब्लू० 1 कागज सं० 136क, जीतन सिंह पी०डब्लू० 2 कागज सं० 139क2 व रामप्रसाद पी०डब्लू० 3 कागज सं० 140क2 का सशपथ बयान आदेश 18 नियम 4 दाखिल किया गया प्रतिवादीगण साक्षी पी०डब्लू० 1 की जिरह के पश्चात अनुपस्थित रहे। जिसके कारण उनका जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया एवं पत्रावली प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय अग्रसारित की गयी है।

अग्रणी पत्रावली मे प्रतिवादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन मे नकल आदेश उपजिलाधिकारी खजनी दिनांक 15–04–1997 कागज सं० 43ग, नकल आदेश उपजिलाधिकारी खजनी दिनांक 13–06–97 कागज सं० 44ग, निगेटिव कागज सं० 45ग, नकल इन्तखाब खतौनी 34ग/1 ता 34ग/3, नकल दफा 34 तहसील खजनी दिनांक 04–05–1988 कागज सं० 35ग/1 ता 35ग/3 , नकल आदेश दिनांक 07–04–1997 तहसीलदार खजनी कागज सं० 36ग, फोटोकापी गोदनामा कागज सं० 37ग, फोटो स्टूडियों कागज सं० 38ग, नकल अर्जीदावा न्यायालय सिविल

जज (सी०डि०) गोरखपुर वाद सं० 102/98 जीतन बनाम राजेन्द्र 107 ग, नकल निर्णय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी तहसीलदार खजनी गोरखपुर 52/96 आदेश दिनांक 30–09–97 कागज सं० 108 ग/1 ता 108 ग/2, नकल आदेश दिनांक 20–02–99 न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय गोरखपुर निगरानी 30/259/317/जी/98 कागज सं० 109 ग/1 ता 109 ग/2, प्रतिलिपि कार्यवाही रजिस्टर 110 ग, खतौनी 116 ग, 117 ग, 118 ग, नकल बैनामा बच्ची देवी बहक काशी दिनांक 11–05–1976 131 क, असल गोदनामा 149 क, असली रिपोर्ट माहिर 154 ग, असल फोटो मय निगेटिव 155 ग व फोटो कापी वसीयत 169 ग दस्तावेजी साक्ष्य के रुप मे दाखिल किया गया है।

अग्रणी पत्रावली मे मौखिक साक्ष्य के रुप में प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी साक्षी का परीक्षण नही कराया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस दाखिल की जा चुकी है। समस्त साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

विचारणीय बिन्दुओं पर न्यायालय के निष्कर्ष इस प्रकार हैः–

<u>निस्तारण अग्रणी पत्रावली वाद–बिन्दु सं0 2 व समेकित वाद बिन्दु सं० 9–</u> अग्रणी पत्रावली मू०वा० सं० 201/1997 जीतन सिंह आदि बनाम काशी सिंह आदि मे वाद–बिन्दु सं0 2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वसीयतनामा दिनांक 01–03–1993 फर्जी एवं जाली दस्तावेज है जैसा कि प्रतिवाद पत्र मे कहा गया है?

समेकित पत्रावली मूलवाद सं० 102/1998 जीतन सिंह बनाम राजेन्द्र आदि मे वादबिन्दु सं० 9 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दिनांक 01–03–1993 को बच्ची देवी द्वारा वादीगण के पक्ष मे कोई वसीयतनामा जाली फर्जी व अवैध तथा शून्य दस्तावेज है?

उपरोक्त दोनो वादबिन्दु एक ही प्रकार के है अतएवं उनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

वादीगण द्वारा अग्रणी वाद वसीयतनामा दिनांक 01–03–1993 द्वारा बच्ची देवी बहक वादीगण के आधार पर वादपत्र के अन्त मे सूची अ, ब, स, द, य, र से दर्शित सम्पत्ति के बावत प्रतिवादीगण के खिलाफ शाश्वत व्यादेश के अनुतोष हेतु लाया गया है। विवादित वसीयतनामा दिनांक 01–03–1993 के माध्यम से बच्ची देवी द्वारा अपने हक व हिस्से की सम्पत्ति को वादीगण के हक मे दे दिया गया है। उक्त वसीयतनामा की मूल प्रति कागज सं० 127 क 2 पत्रावली पर संलग्न है। प्रतिवादीगण द्वारा विवादित वसीयतनामा दिनांक 01–03–1993 को जाली व फर्जी बताया गया है। उक्त वसीयतनामा की प्रमाणिकता के निर्णय हेतु पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

विवादित वसीयतनामा को जाली व फर्जी साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर धारित है। प्रतिवादीगण द्वरा विवादित वसीयतनामा को खण्डित करने हेतु कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। प्रतिवादीगण का यह कहना है कि बच्ची देवी द्वारा प्रतिवादी सं० 3 को गांव की बिरादरी के सामने दिनांक 14–01–1985 को गोद लिया गया था। जिसके संदर्भ मे दिनांक 04–05–1988 को एक पंजीकृत दस्तावेज का निष्पादन भी किया गया है। प्रतिवादी सं० 3 बच्ची देवी का दत्तक पुत्र है। जिसके होते हुए बच्ची देवी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति के हक मे वसीयत लिखा जाना अस्वाभाविक है।

वादीगण द्वारा विवादित वसीयतनामा को साबित करने हेतु उसके गवाह चन्द्रभान पी०डब्लू० 1 को परीक्षीत कराया गया है। अपनी प्रतिपरीक्षा कागज सं० 136 क मे वसीयतनामा के गवाह चन्द्रभान द्वारा कथन किया गया है कि *" मै बच्ची देवी......... को जानता हूँ कागज सं० 127 क को देखकर गवाह ने कहा कि बच्ची देवी ने मेरे सामने 127 क को लिखा व निष्पादित किया था। गवाह ने 127 क पर बच्ची देवी जीतन सिंह और अजीत सिंह के फोटो की पहचान किया। बच्ची देवी के कहने के अनुसार 127 क को सर्वजीत भूतपूर्व प्रधान ने लिखा था। सर्वजीत सिंह ने 127 क को लिखकर बच्ची देवी को पढकर सुनाया व समझाया था तब बच्ची देवी ने मेरे व रामनरायन के सामने 127 क पर*

निशान अंगूठा लगाया उन्होने मेरे व रामनरायन के सामने 127 क के प्रत्येक पन्ने पर निशान अंगूठा लगाया है। मै और रामनरायन बच्ची देवी के सामने 127 क पर अपना अपना हस्ताक्षर बनाये। गवाह ने 127 क पर बच्ची देवी के निशान अंगूठा अपने हस्ताक्षर व रामनरायन के हस्ताक्षर की पहचान किया। 127 क पर लेखक पूर्व प्रधान ने भी हस्ताक्षर किया है। बच्ची देवी मर गयी है। अपने सम्पत्ति के बारे मे बच्ची देवी ने वसीयत लिखवाया था।.... यह वसीयतनामा दिनांक 01–03–1993 को लिखाया गया था। उस समय मै हाईस्कूल की परीक्षा दे रहा था।........ 127 क पर जो फोटो लगा है वह मेरे सामने खींचा गया था फिर कहा कि मेरे सामने लगाया गया था।...... उस समय सर्वजीत प्रधान थे जिस समय 127 क लिखा गया था। मुझे वसीयत पर गवाही देने के लिए बच्ची देवी लिया गयी थी। तीन बजे दिन मे मेरे पास पहुंची और कहीं कि मुझे सर्वजीत प्रधान के यहां ले चलो तब मै प्रधान जी के यहां ले गया उसके बाद अपना दस्तावेज ......और निकालकर दस्तावेज प्रधान को दे दिया और प्रधान से कहा कि मेरा चौथा चरण है वसीयतनामा लिख दीजिये। तब सर्वजीत प्रधान ने वसीयतनामा लिखा और अपना दस्तखत किया।......... जब हम लोग वहां गये तो हमारे साथ जीतन, अजीत व बच्ची देवी थी।..... बच्ची देवी के बताने के अनुसार प्रधान ने वसीयत स्टाम्प पर लिखना शुरु किया। वसीयत लिखने मे एक घंटा के करीब लगा उसके बाद उन्होने पढ़कर सुनाया.... 138 ग मे उसे (बच्ची देवी) मृतक औरत दिखाये है जिसे मै नही पहचानता हूँ। 38 ग/5 पर जो मृतक की फोटो है उसे मै नही पहचानता। 385 ग/3 मे जो सिर मुड़ाकर लड़का लेटा है वह काशी सिंह का लड़का गुड्डु है। .... बच्ची देवी का निशान अंगुठा बांया लगा था। यह कहना गलत है कि 127 क फर्जी है।" इसप्रकार वसीयतनामा के गवाह स्वतन्त्र गवाह चन्द्रभान ने साक्षी पी०डब्लू० 1 के रुप मे अपनी जिरह के माध्यम से विवादित वसीयतनामा दिनांक 01–03–93 को पुष्ट किया है।

प्रतिवादीगण द्वारा विवादित वसीयतनामा दिनांक 01–03–1993 को खण्डित किये जाने के बावत माहिर रिपोर्ट मंगायी गयी। उक्त माहिर रिपोर्ट कागज सं० 154 ग/155 ग पत्रावली पर संलग्न है। प्रतिवादीगण द्वारा माहिर की प्रतिपरीक्षा नही करायी गयी है। पत्रावली पर प्रतिवादीगण का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जा चुका है एवं कार्यवाही एकपक्षीय अग्रसारित है। ऐसी स्थिति मे माहिर रिपोर्ट का साक्ष्य के रुप मे विश्लेषण किया जाना विधि सम्मत नही है।

भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के धारा 18 के प्रावधान के अनुसार वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नही है। प्रस्तुत मामले मे वसीयतनामा के गवाह द्वारा उसे साबित किया गया है। तर्कों एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय के मत मे विवादित वसीयतनामा दिनांक 01–03–1993 द्वारा बच्ची देवी बहक वादीगण वैध व विधिक रुप से अनुपालनीय दस्तावेज है। इसप्रकार अग्रणी वाद की पत्रावली का वाद बिन्दु सं० 2 एवं समेकित वाद की पत्रावली का वादबिन्दु सं० 9 वादीगण के पक्ष मे सकारात्मक एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रुप से निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण समेकित पत्रावली वाद–बिन्दु सं0 1 व 2–</u> समेकित पत्रावली मूलवाद सं० 102/1998 जीतन सिंह बनाम राजेन्द्र आदि मे वादबिन्दु सं० 1 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या गोदनामा दिनांक 04–05–1988 जिसमे बच्ची देवी पत्नी सूर्यवंश सिंह द्वारा प्रतिवादी सं० 1 को गोद लिया जाना कहा जाता है बिल्कुल जाली, फर्जी अवैध व शून्य है तथा इसका कोई बन्धन वादीगण पर नही है?

समेकित पत्रावली मूलवाद सं० 102/1998 जीतन सिंह बनाम राजेन्द्र आदि मे वादबिन्दु सं० 2 इस आशय का विरचित किया गया है किक्या प्रतिवादी सं० 1 सूर्यवंश सिंह व बच्ची सिंह का दत्तक पुत्र है?

उपरोक्त दोनो वादबिन्दु एक ही प्रकार के है अतएवं उनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

समेकित पत्रावली मूलवाद सं० 102/1998 जीतन सिंह बनाम राजेन्द्र आदि वादीगण द्वारा विवादित गोदनामा दिनांक 04–05–88 जिसके माध्यम से बच्ची देवी द्वारा प्रतिवादी सं० 1 (राजेन्द्र) को गोद लिया जाना कहा जाता है को मंसूख किये जाने के आशय से लाया गया है। संक्षेप मे वाद कथानक इस प्रकार है कि वादपत्र के अन्त मे सूची अ,ब,स,द,य,र से दर्शित सम्पत्ति कन्हई सिंह के जमाने की रही है। कन्हई सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र वंशु, हंसू व सूर्यवंश मालिक काबिज हुए। इन तीनो भाईयों मे वंशू सबसे पहले लावल्द फौत कर गये। वंशू के मरने के बाद हंसू व सूर्यवंश

मालिक काबिज हुए। कालान्तर मे सूर्यवंश की भी मृत्यु हो गयी। उनकी विधिक वारिस पत्नी बच्ची देवी उनके 1/2 हक व हिस्से की मालिक काबिज हुई। हंसू सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र किशोर सिंह व राजेश्वर सिंह व काशी सिंह उनके 1/2 हक व हिस्से के मालिक काबिज हुए।

वादीगण के पिता किशोर सिंह शेष दो भाईयों से अलग रहते थे। बच्ची देवी भी वादीगण के पिता के साथ रहती थी। बच्ची देवी द्वारा वादीगण के हक मे दिनांक 01–03–1993 को वसीयतनामा निष्पादित कर दिया गया था। जिसके आधार पर वादीगण बच्ची देवी के हक व हिस्सा पर मालिक काबिज दखील थे। प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति किये जाने पर दिनांक 09–04–1997 को वादीगण को तथाकथित गोदनामा की जानकारी हुई।

विवादित गोदनामा के बावत कथानक प्रतिवादीगण इस प्रकार है कि बच्ची देवी द्वारा दिनांक 14–01–1985 को गांव बिरादरी के सामने प्रतिवादी सं० 1 (राजेन्द्र) को गोद लिया था। जिसके सम्बन्ध मे पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 04–05–1988 को निष्पादित किया गया। विवादित गोदनामा विलेख दिनांक 04–05–1988 की वैधता के लिए पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य का विश्लेषण आवश्यक है। इस संदर्भ मे विवादित गोदनामा दिनांक 04–05–1988 को खण्डित करने एवं इस संदर्भ मे साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार वादी पर धारित है। वादीगण द्वारा गोदनामा कागज सं० 126 ग को खण्डित करने हेतु ग्राम प्रधान द्वारा लिखित कथन कागज सं० 54 ग पत्रावली पर संलग्न किया गया है। जिसके माध्यम से ग्राम प्रधान सर्वजीत द्वारा कथन किया गया है कि प्रतिवादी सं० 1 को बच्ची देवी द्वारा गोद लिये जाने हेतु गांव विरादरी के सामने कोई कार्यक्रम नही हुआ था।

विवादित गोदनामा दिनांक 04–05–1988 एक पंजीकृत दस्तावेज है। जिसके प्रमाणिक होने की उपधारणा की जा सकती है। वादीगण द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य वोटर लिस्ट कागज सं० 66 ग, नकल परिवार रजिस्टर 64 ग, 65 ग, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र 90 ग एवं चरित्र प्रमाण पत्र 91 ग मे प्रतिवादी सं० 1 (राजेन्द्र) के पिता का नाम काशी दर्ज है। जिससे साबित होता है कि विवादित गोदनामा दिनांक 04–05–1988 का अनुपालन नही किया गया था एवं वास्तविक रुप मे प्रतिवादी सं० 1 को गोद लेकर दत्तक पुत्र नही बनाया गया था। प्रतिवादीगण द्वारा विवादित गोदनामा दिनांक 04–05–1988 को साबित करने के लिए माहिर रिपोर्ट मंगाया गया है। उक्त माहिर रिपोर्ट कागज सं० 154 ग/155 ग पत्रावली पर संलग्न है। प्रतिवादीगण द्वारा माहिर की प्रतिपरीक्षा नही करायी गयी है। अतएवं माहिर रिपोर्ट को साक्ष्य के रुप मे विश्लेषण किया जाना विदि सम्मत नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विवादित गोदनामा तर्क संगत संदेह उत्पन्न होता है जिसके आधार पर उसे प्रमाणिक एवं विधिक रुप से अनुपालनीय दस्तावेज नही माना जा सकता है।

प्रस्तुत वाद बिन्दु के निस्तारण के क्रम मे इस तथ्य का भी निर्णय किया जाना है कि क्या प्रतिवादी सं० 1 सूर्यवंश सिंह व बच्ची देवी का दत्तक पुत्र है एवं गोदनामा दिनांक 04–05–1988 की कोई बाध्यता वादीगण पर लागू होती है?

वादीगण द्वारा विवादित गोदनामा के क्रियान्वित होने के बावत सरकारी दस्तावेजो मे प्रतिवादी सं० 1(राजेन्द्र) की वल्दियत के संदर्भ मे वोटर लिस्ट कागज सं० 66 ग, नकल परिवार रजिस्टर 64 ग, 65 ग, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र 90 ग व चरित्र प्रमाण पत्र 91 ग पत्रावली पर दाखिल किया गया है। उपरोक्त सभी दस्तावेजो मे प्रतिवादी सं० 1(राजेन्द्र) की वल्दियत पिता काशी दर्ज है। जिससे यह साबित होता है कि विवादित गोदनामा केवल एक दस्तावेज है जिसका क्रियान्वयन पक्षकारों द्वारा नही किया गया है। दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रतिवादी सं० 1 (राजेन्द्र) को सूर्यवंश व बच्ची देवी का दत्तक पुत्र मानने का आधार पर्याप्त नही है। अतएवं समेकित पत्रावली मे वादबिन्दु सं० 1 व 2 वादी के पक्ष मे सकारात्मक एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध नकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण अग्रणी पत्रावली वाद–बिन्दु सं0 1–</u> अग्रणी पत्रावली मू०वा० सं० 201/1997 जीतन सिंह आदि बनाम काशी सिंह आदि मे वाद–बिन्दु सं01 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादीगण जरिये वसीयतनामा दिनांक 01–03–1993 विवादित जायदाद मे आधे के मालिक है व उसपर उनका कब्जा दखल है? यदि हाँ तो प्रभाव?

अग्रणी पत्रावली मू०वा० सं० 201/1997 वादीगण द्वारा वादपत्र के अन्त मे सूची अ, ब, स अराजियात एवं सूची द, य, र मकान व सहन के बावत प्रतिवादीगण के विरुद्ध वसीयतनामा दिनांक

01–03–1993 के आधार पर शाश्वत व्यादेश के अनुतोष हेतु लाया गया है। प्रस्तुत वाद के निस्तारण के क्रम मे न्यायालय द्वारा वसीयतनामा दिनांक 01–03–1993 को प्रमाणिक एवं विधिक रुप से अनुपालनीय दस्तावेज अवधारित किया गया है। विवादित सम्पत्ति पर स्वयं के स्वामित्व के संदर्भ मे वादीगण द्वारा अराजियात के बावत खतौनी व खसरा संलग्न है। साक्षी पी०डब्लू० 2 कागज सं० 139क2 व पी०डब्लू० 3 कागज सं० 140क2 द्वारा अपने सशपथ बयान अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाप्ता दीवानी मे वसीयतनामा के आधार पर विवादित सम्पत्ति पर वादीगण का स्वामित्व व कब्जा होने का कथन किया गया है। वसीयतनामा दिनांक 01–03–1993 के आधार पर विवादित सम्पत्ति मे वादीगण का स्वामित्व व कब्जा साबित है। वसीयतनामा दिनांक 01–03–1993 के आधार पर वादीगण को वादपत्र के अन्त मे सूची अ,ब,स एवं द,य,र मे अपने हक व हिस्से के स्वामी है। वादपत्र के अन्त मे वर्णित सम्पत्ति विभिन्न अराजियात, मकान व सहन है जिसमे वादीगण के कब्जा के संदर्भ मे स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नही है। अतएवं वादीगण को इम्तनाई का अनुतोष प्रदान किया जाना विधि सम्मत नही है। इस प्रकार अग्रणी पत्रावली मे वादबिन्दु सं० 1 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

<u>निस्तारण अग्रणी पत्रावली वाद–बिन्दु सं0 5 व समेकित पत्रावली वादबिन्दु सं० 4–</u> अग्रणी पत्रावली वाद बिन्दु सं० 5 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी धारा 34 एवं 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?

समेकित पत्रावली वाद बिन्दु सं० 4 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद मे धारा 34 एवं 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की बाधा है?

उपरोक्त दोनो वादबिन्दु एक ही प्रकार के है एवं एक ही विषय से सम्बन्धित है अतएव उक्त दोनो वादबिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

अग्रणी पत्रावली मूलवाद सं० 201/1997 एवं समेकित पत्रावली 102/1998 मे उपरोक्त दोनो वादबिन्दुओं का साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वाद कार्यवाही के दौरान साक्ष्य के स्तर पर पत्रावली प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय रुप से अग्रसारित की गयी है। प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त वादबिन्दु को साबित करने हेतु कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अतएवं अग्रणी पत्रावली मे वादबिन्दु सं० 5 व समेकित पत्रावली मे वादबिन्दु सं० 4 वादी के पक्ष मे सकारात्मक व प्रतिवादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रुप से निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण अग्रणी पत्रावली वाद–बिन्दु सं0 8 व समेकित पत्रावली वादबिन्दु सं० 6–</u>

अग्रणी पत्रावली वाद बिन्दु सं० 8 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा अवधि बाधित है?

समेकित पत्रावली वाद बिन्दु सं० 6 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद मे अवधि की बाधा है?

उपरोक्त दोनो वादबिन्दु एक ही प्रकार के है एवं एक ही विषय से सम्बन्धित है अतएव उक्त दोनो वादबिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

उपरोक्त वादबिन्दुओं का साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर धारित है। प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त वादबिन्दु को साबित करने हेतु कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अतएवं अग्रणी पत्रावली मे वादबिन्दु सं० 8 व समेकित पत्रावली मे वादबिन्दु सं० 6 वादी के पक्ष मे सकारात्मक व प्रतिवादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रुप से निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण अग्रणी पत्रावली वाद–बिन्दु सं0 6–</u> अग्रणी पत्रावली वाद बिन्दु सं० 6 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी मे आवश्यक पक्ष को पक्षकार न बनाये जाने का दोष है?

उपरोक्त वादबिन्दुओं का साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर धारित है। प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त वादबिन्दु को साबित करने हेतु कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अतएवं साक्ष्य के अभाव मे अग्रणी पत्रावली मे वादबिन्दु सं० 6 वादी के पक्ष मे सकारात्मक व प्रतिवादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रुप से निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण अग्रणी पत्रावली वाद–बिन्दु सं0 7–</u> अग्रणी पत्रावली वाद बिन्दु सं० 7 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या इस न्यायालय को प्रस्तुत वाद देखने का क्षेत्राधिकार नही है?

उपरोक्त वादबिन्दुओं का साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर धारित है। प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त वादबिन्दु को साबित करने हेतु कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। वादी द्वारा अग्रणी पत्रावली मे विवादित वसीयतनामा दिनांक 01–03–93 के आधार पर इम्तनाई का अनुतोष मांगा गया है। प्रस्तुत वाद के न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के संदर्भ मे प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण साक्ष्य के अभाव मे अग्रणी पत्रावली मे वादबिन्दु सं० 7 वादी के पक्ष मे सकारात्मक व प्रतिवादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रुप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण अग्रणी पत्रावली वाद–बिन्दु सं0 9– अग्रणी पत्रावली वाद बिन्दु सं० 9 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

अग्रणी पत्रावली मूलवाद सं० 201/1997 जीतन सिंह आदि बनाम काशी वगै० मे वादी द्वारा विवादित वसीयतनामा दिनांक 01–03–93 के आधार पर वादपत्र के अन्त मे वर्णीत सूची अ,ब,स आराजियात एवं द,य,र मकान व सहन के बावत अपने हक व हिस्सा मे प्रतिवादीगण के विरुद्ध शाश्वत व्यादेश का अनुतोष प्राप्त किये जाने के आशय से लाया गया है। वाद के निस्तारण के क्रम मे न्यायालय द्वारा विवादित वसीयतनामा दिनांक 01–03–93 को पुष्ट होना साबित पाया गया है एवं विधिक रुप से अनुपालनीय दस्तावेज अवधारित किया गया है। पत्रावली पर कार्यवाही साक्ष्य के स्तर पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय रुप से अग्रसारित की गयी है। इसके अतिरिक्त वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतएवं वादबिन्दु सं० 9 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण समेकित पत्रावली वाद–बिन्दु सं0 3– समेकित पत्रावली मे वाद बिन्दु सं० 3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादीगण को हक दावा हासिल नही है?

उपरोक्त वादबिन्दुओं का साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर धारित है। प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त वादबिन्दु को साबित करने हेतु कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अतएवं साक्ष्य के अभाव मे समेकित पत्रावली मे वादबिन्दु सं० 3 वादी के पक्ष मे सकारात्मक व प्रतिवादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रुप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण समेकित पत्रावली वाद–बिन्दु सं0 7– समेकित पत्रावली मे वाद बिन्दु सं० 7 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद अन्तर्गत दफा 10 जा०दी० स्थगीत होने योग्य है?

उपरोक्त वादबिन्दुओं का साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर धारित है। प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त वादबिन्दु को साबित करने हेतु कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अतएवं साक्ष्य के अभाव मे समेकित पत्रावली मे वादबिन्दु सं० 7 वादी के पक्ष मे सकारात्मक व प्रतिवादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रुप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण समेकित पत्रावली वाद–बिन्दु सं0 8– समेकित पत्रावली मे वाद बिन्दु सं० 8 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद मे आदेश 2 नियम 2 जाप्ता दीवानी का दोष है?

उपरोक्त वादबिन्दुओं का साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर धारित है। प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त वादबिन्दु को साबित करने हेतु कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अतएवं साक्ष्य के अभाव मे समेकित पत्रावली मे वादबिन्दु सं० 8 वादी के पक्ष मे सकारात्मक व प्रतिवादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रुप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण समेकित पत्रावली वाद–बिन्दु सं0 11 एवं 12– समेकित पत्रावली मे वाद बिन्दु सं० 11 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या काउन्टर क्लेम विशेष अनुतोष अधिनियम की धारा 34 से बाधित है? एवं समेकित पत्रावली मे वाद बिन्दु सं० 12 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या काउन्टर क्लेम काल बाधित बाधित है?

समेकित पत्रावली मे वादबिन्दु सं० 11 प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा के माध्यम से दाखिल किये गये काउन्टर क्लेम के धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अन्तर्गत बाधित होने के संदर्भ मे विरचित किया गया है। काउन्टर क्लेम के माध्यम से समेकित पत्रावली मे प्रतिवादीगण द्वारा विवादित वसीयतनामा दिनांक 01–03–93 को मंसूख किये जाने की याचना की गयी है। धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनिमय मुख्य रुप से उद्घोषणात्मक वादो के बारे मे प्रावधान करता है। वादीगण द्वारा समेकित पत्रावली मे काउन्टर क्लेम के धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनिमय से बाधित होने के संदर्भ

मे पत्रावली पर किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे समेकित पत्रावली मे वादबिन्दु सं० 11 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

समेकित पत्रावली मे वादबिन्दु सं० 12 इस आशय का विरचित किया गया है कि काउन्टर क्लेम काल वाधित है?

समेकित पत्रावली मूलवाद सं० 102/1998 वादी द्वारा विवादित गोदनामा दिनांक 04–05–1988 को मंसूख किये जाने के आशय से लाया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा के माध्यम से दाखिल काउन्टर क्लेम मे वसीयतनामा दिनांक 01–03–93 को मंसूख किये जाने के याचना की गयी है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के काल बाधित होने के संदर्भ मे साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार वादी पर धारित है। वादी द्वारा काउन्टर क्लेम के काल बाधित होने के संदर्भ मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा के माध्यम से विवादित वसीयतनामा की जानकारी होने की तिथि से मियाद भीतर काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुए विवादित वसीयतनामा दिनांक 01–03–1993 मंसूख किये जाने की याचना की गयी है। साक्ष्य के अभाव मे समेकित पत्रावली मे वादबिन्दु सं० 12 वादी के विरुद्ध नकारात्मक व प्रतिवादीगण के पक्ष मे सकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

आदेश

अग्रणी पत्रावली मूलवाद सं० 201/1997 जीतन सिंह आदि बनाम काशी आदि आंशिक रुप से वादीगण के पक्ष मे एकपक्षीय अज्ञप्त किया जाता है। वादीगण को व्यादेश का अनुतोष प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नही है। विवादित वसीयतनामा दिनांक 01–03–1993 को पुष्ट करते हुए विधिक रुप से अनुपालनीय दस्तावेज अवधारित किया जाता है। अग्रणी पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

समेकित पत्रावली मूलवाद सं० 102/1998 जीतन सिंह आदि बनाम राजेन्द्र आदि एकपक्षीय वादीगण के पक्ष मे अज्ञप्त किया जाता है। तद्नुसार प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम अस्वीकार किया जाता है। विवादित गोदनामा दिनांक 04–05–1988 को मंसूख किया जाता है। आदेश की एक प्रति सम्बन्धित रजिस्ट्रार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित की जाय। समेकित पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 01–02–2022

(आशीष कुमार सिंह)
सिविल जज (जू०डि०)
बांसगाँव, गोरखपुर

यह निर्णय आज खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 01–02–2022

(आशीष कुमार सिंह)
सिविल जज (जू०डि०)
बांसगाँव, गोरखपुर

Digitally signed by Ashish Kumar Singh
Date: 2022.02.03 19:00:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court